International Journal of Applied Research 2021; 7(10): 383-386

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(10): 383-386
www.allresearchjournal.com
Received: 21-08-2021
Accepted: 27-09-2021

अनिता कुमारी
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया बिहार, भारत।

Corresponding Author:
अनिता कुमारी
शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया बिहार, भारत।

लैंगिक असंवेदनशीलता

अनिता कुमारी

प्रस्तावनाः

महिलाएं सड़कों पर, बस स्टॉप पर रात्रि में अपने को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे बड़ा कारण सामुदायिक जीवन संस्कृति का लुप्त होना है। भाईचारे का संबंध लगभग गायब है। लोगों के अंदर अपनेपन की भावना दम तोड़ रही है। एक दूसरे पर सामाजिक, निर्भरता बहुत कम होती जा रही है। लैंगिक असंवेदनशीलता उपजी है। महिलाओं के देह को हमले का निशाना बनाया जा रहा है। इनके साथ उत्पीड़न, छेड़छाड़ आम घटना बनती जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर इन्हें छींटाकशी का सामना करना पड़ता है। अमूमन महिलाएं सर झुकाकर, इगनोर करके निकल लेने में ही अपनी भलाई समझती हैं। आज कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा का सवाल विमर्श के केन्द्र में है। दफ्तर में भी महिलाओं को शोषण का सामना करना पड़ता है। महिला खिलाड़ी पुरूष कोच से उत्पीड़ित एवं यौन हिंसा का शिकार होती है। कुछ समझौता कर लेती हैं और थोड़ी बहुत खबरे मीडिया में आ जाती है। कई मामलों में यह देखा जा रहा है कि पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज नहीं किया जाता है। दर्ज करने में आनाकानी की जाती है। कई सामाजिक संस्थाओं और मीडिया को सामने आना पड़ता है तब जाकर मामला दर्ज होता है। सबसे गंभीर समस्या तो यह है कि मदद करने के बजाय पुलिसकर्मी महिलाओं को ही प्रताड़ित करती है। यह भी देखा जाता है कि छोटे पुलिसकर्मी के व्यवहारों में बहुत ही विकृति है। ये अशिष्टता से पेश आते हैं। और दूसरी बात यह है कि अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण भी पुलिस कर्मियों को स्त्री के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए बनाये गए कानून के बारे में कोई समझ नहीं है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध व हिंसा चाहे शारीरिक हों या मानसिक, पूरे विश्व में आम हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हर पन्द्रह सेकण्ड में एक महिला पिटाई या जुल्मो–सितम की शिकार होती है। हर वर्ष करीब सात लाख महिलाओं को बलात्कार जैसे घृणित अपराध से उपजी पीड़ा झेलती पड़ती है। इस रिपोर्ट का सबसे दुखद पहलू यह है कि 40 प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपने पति द्वारा प्रताड़ित की जाती हैं। ये आंकड़े भी सच्चाई बयां नहीं करते।

यह विडंबना ही है कि मर्दों को अपनी कोख से जननेवाली मां जो वस्तुतः महिला ही है, इस आधुनिक और प्रगतिशील कहे जाने वाले विश्व में आज भी उपेक्षित, प्रताड़ित और शोषित है। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण के शब्दों में –

अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी।
आँचल में है दूध और आँखों में पानी।।

क्यों नारी की यह पराधीनता कभी खत्म नहीं होती? बचपन में माँ–बाप के, जवानी में पति और बुढ़ापे में बेटों के अधीन, अंततः बंधन में यह अपनी पहचान ही खो देती है।

विश्वभर के संविधानों ने नारी को समानता के अधिकार दिए हैं, लेकिन ये अधिकार केवल लिखित ही हैं। अलिखित कानून यही है कि सम्पूर्ण विश्व में नारी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक पुरुष के जुल्मों का शिकार होती है, खासकर भारत में। भ्रूण हत्या, बाल–विवाह, दहेज, सती, देवदासी और विधवाओं के प्रति हेय–दृष्टि जैसी पुरातन परंपराओं के नाम पर नारी दासता के पन्नों पर हर रोज प्रताड़ना की नई कहानी लिखी जाती है। यह समाज गो हत्या पर शास्त्रों का उदाहरण देता है। वही समाज कन्या भ्रूण हत्या पर क्यों खामोश है? बेटे के जन्म पर मंगलगीत गाने वालों को बच्चियों के जन्म पर खुशियाँ क्यों नहीं सुहातीं?

महिला हिंसा पर कई कानून बनाने के बाद भी महिला हिंसा के आंकड़े दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। महिला हिंसा की घटनाएं या तो सर्वे में रजिस्टर होती हैं या पुलिस थाने में। लेकिन आंकड़ों की संख्या तो इससे भी 10 गुना ज्यादा होगी क्योंकि डर, भय, अपमान और सामाजिक तानाबाना महिलाओं को सामने आने से रोकता है। समाज में होने वाली घटनाएं तो फिर भी हम देख पाते हैं लेकिन घर–परिवार के भीतर महिलाएं रोज ही पुरूष हिंसा का शिकार होती हैं। दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, भेदभाव, यौन हिंसा, मर्जी से विवाह करने पर, मारपीट, हत्या तथा रोज–रोज गाली–गलौज और भी तरह–तरह के घरेलू उत्पीड़नों का सामना करती हैं लेकिन इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में महिलाएं इसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा सकती है। कानून के मुताबिक यदि पत्नी की इच्छा के विरूद्ध पति जबरन यौन संबंध स्थापित करता है, तो वह भी बलात्कार माना जाएगा। सरेआम बलात्कार और यौनिक हिंसा के बाद भी महिलाएं न्यायालय में नहीं जा पाती हैं तो कैसे अपने पति के बलात्कार को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की कल्पना कर सकती हैं।

सभी वर्ग समाजों में महिलाएं यौनिक हिंसा का सामना करती है लेकिन खासकर मेहनतकश महिलाएं यौनिक हिंसा का शिकार सबसे ज्यादा होती हैं। भारत में यह हिंसा तीव्र रूप से महिलाओं के जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जमींदारों, ठेकेदारों, माफिया गिरोहों और दलाल नौकरशाहों पूंजीपतियों के संस्थानों में अफसरों तथा प्रभुत्वशाली वर्गों द्वारा महिलाओं पर निरन्तर यौनिक हिंसा की जाती रही है।

कार्य–स्थल पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या यौन उत्पीड़न को मानवीय अधिकारों के विरूद्ध मानते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री ए.एस. आनन्द और न्यायमूर्ति बी.एन. खरे ने (एप्रेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बनाम ए.के. चोपड़ा, (1) 1999 एस. एल.टी. 212) 20 जनवरी, 1999 को सुनाए गए एक उल्लेखनीय फैसले में कहा है कि ''यौन शोषण के ऐसे मामलों को अति संवेदनशीलता के साथ देखना चाहिए। ऐसे मुकदमों में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति सहानुभूति पूर्णतया गलत है और रहम का कोई औचित्य नहीं। ऐसे मामले में सजा कम करने से कामकाजी महिलाओं में विश्वासहीनता बढ़ेगी और यह एक प्रतिगामी कदम होगा।''

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने महिला का नाम मिस 'एक्स' लिखा गया है। न्यायमूर्तियों ने जानबूझकर महिला का असली नाम नहीं लिया, ताकि उसके मान–सम्मान की रक्षा की जा सके। बलात्कार के मामलों में कुछ उच्च न्यायालय पहले भी ऐसा प्रयास कर चुके हैं। हालांकि नाम की गोपनीयता ऊपरी तौर पर महिलाओं के पक्ष में दिखाई देती है, परन्तु कहीं गहरे में यह उदारता इस बात पर विशेष जोर देती है कि लोगों को पता लगेगा, तो महिला की ही बदनामी होगी। समाज में बदनामी का भय अक्सर महिलाओं को शिकायत करने से रोकता है, रोकता रहा है। 'परिवार की प्रतिष्ठा' का सवाल, स्त्रियों को चुप करने के लिए विवश करता रहा है। परिणामस्वरूप स्त्रियों के विरूद्ध (यौन) हिंसा लगातार बढ़ती जा रही हे। गुमनामी के अंधेरों का अपना एक खतरा भी है।

स्त्रियों की खामोशी पुरूषों को अधिक हिंसा, हत्या, अपराध, दमन, शोषण और उत्पीड़न करने (करते रहने) का अवसर भी देती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ अन्य चिकित्सा संगठनों के साथ मिलकर औरतों पर होने वाली हिंसा पर किये गये अध्ययन की रपट जारी की। इस रपट के आंकड़े चौंकानेवाले हैं। यह अध्ययन 15 साल से ऊपर की लड़कियों व औरतों के बारे में दुनिया के कई देशों में किया गया है। इससे पता चला है कि करीब 37 फीसदी औरतों को अपने जीवन में शारीरिक या यौनिक हिंसा का शिकार होना पड़ता है। ज्यादा गंभीर बात यह है कि 30 फीसदी औरतों के साथ यह हिंसा कोई बाहरी आदमी न करके उनके साथ (पति या प्रेमी) ही करता है। जिन महिलाओं की हत्या हुई है, उनमें से 38 फीसदी मामलों में हत्या पति या प्रेमी ने ही की थी। अपने साथी के हाथों हिंसा की शिकार हुई महिलाओं में 42 फीसदी को चोट आयी।

रपट में बताया गया है कि इस हिंसा के फलस्वरूप कई बार औरतों की हड्डियाँ टूट जाती है, गर्भपात हो जाता है, जल्दी प्रसव होकर कमजोर बच्चा पैदा होता है, महिलाएं अवसादग्रस्त हो जाती हैं और आत्महत्या भी कर लेती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक डॉ. मार्गरेट चान ने रपट को जारी करते हुए कहा, यह रपट ताकतवर संदेश देती है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा महामारी का रूप धारण करती एक वैश्विक समस्या है।

रपट से यह भी पता चलता है कि हिंसा का प्रतिशत अफ्रीका और एशिया में ज्यादा है। भारत के संदर्भ में तो यह और ज्यादा होगा, जहां 'दहेज हत्या' जैसी अपराधों की विशिष्ट श्रेणी भी है तथा पिछले दिनों तेजाब हिंसा भी तेजी से बढ़ी है। अनुमान है कि भारत की करीब दो–तिहाई महिलाएं अपने जीवन में कभी–न–कभी घरेलू हिंसा का शिकार होती है। गरीब या दलित से लेकर उच्च वर्ग तक के घरों में यह हिंसा होती है। गौरतलब है कि यहां शारीरिक और यौनिक हिंसा की बात हो रही है। गाली–गलौज, अपमान, भेदभाव व मानसिक प्रताड़ना को भी जोड़ा जाये, तो मामला और भयानक होगा।

भारत में औरतों पर हिंसा काफी समय से चली आ रही है और इसे परंपरा व शास्त्रों का भी समर्थन मिलता रहा है। 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी' जैसी रामचरित मानस की पंक्तियों में यही मानसिकता झलकती है। मनुस्मृति ने भारतीय समाज में शूद्रों और औरतों की हीन स्थिति को शास्त्रीय और कानूनी रूप देने की कोशिश की थी। भारत के पौराणिक आख्यानों में परशुराम जैसे चरित्र भी हुए हैं, जिसने पिता के कहने पर अपनी मां की हत्याकर दी और क्षत्रियों का संहार करने के सिलसिले में उनकी गर्भवती स्त्रियों को भी नहीं छोड़ा। विडंबना है कि इन दिनों ब्राह्मण जाति स्वयं को संगठित करने के लिए परशुराम को आदर्श पुरूष मानकर धूमधाम से उनकी जयंती मना रही है। भारतीय समाज की पतनशील दिशा की यह एक मिसाल है।

ऐसा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में औरतों की स्थिति हमेशा कमजोर रही है। यहां मैत्रेयी गार्गी, लीलावती, संघमित्रा, रजिया सुल्तान, मीराबाई, दुर्गावती, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फूले, पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं भी हुई हैं।

नारी उत्पीड़न का एक प्रमुख रूप यौन उत्पीड़न है। स्त्रियाँ जहाँ कार्य करती हैं, वहाँ उनके मालिकों एवं बॉस द्वारा कभी–कभी स्त्रियों का यौन शोषण भी किया जाता है। उन्हें ऐसा करने के लिए आर्थिक एवं अन्य प्रकार के प्रलोभन भी दिए जाते हैं और समर्पण न करने की स्थिति में उनके साथ दुव्यर्वहार किया जाता है। उन्हें परेशान किया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाया जाता है जिससे तंग आकर या तो वे नौकरी छोड़ देती हैं या समर्पण कर देती है। ऐसी स्थिति में स्त्री में हीनता की भावना पैदा हो जाती है। सामान्यतः स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि यदि उनके साथ कोई यौन संबंधी मजाक या छेड़छाड़ करता है तो उन्हें बर्दास्त कर लेना चाहिए। होटलों में काम करने वाली महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कामुक हाव–भाव एवं मुद्राओं से ग्राहकों को आकर्षित करें। पुरूष ऐसी स्थिति में यदि गंदे प्रस्ताव रखता है तो स्त्री को चतुराई से उन्हें टाल देना चाहिए। यह व्यवसायिक चतुराई है। इंग्लैण्ड में एक अध्ययन में यह पाया गया है कि 10 कामकाजी महिलाओं में से 7 यौन उत्पीड़न की शिकार थी। यौन उत्पीड़न की स्थिति में कई बार महिलाओं को लम्बी छुट्टियाँ लेनी पड़ती हैं या नौकरी छोड़ देनी पड़ती हैं, किन्तु ऐसा करने पर उन्हें आर्थिक संकटों का मुकाबला करना पड़ता है।

भारत में संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्पष्ट है कि ऐसे में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों का सम्मान, उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करना मानवीय एवं नैतिक रूप से आवश्यक हो गया है। कामकाजी महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार जहाँ उनकी उत्पादकता एवं दक्षता में सुधार लाता है, वहीं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष यौन उत्पीड़न एवं शोषण उनके मानवाधिकारों का हनन करता है तथा उनकी कार्यक्षमता को बाधित करता है।

देश में शिक्षा का प्रसार–प्रचार बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमारे देश की हर तीसरी लड़की यह स्वीकार करती है कि उसके साथ यौन हिंसा हुई है। इसलिए यह शिक्षा से कहीं ज्यादा मानसिकता से जुड़ा मसला है। यह सामाजिक सोच का सवाल है और खासतौर से औरत और मर्द के बीच रिश्ते का सवाल है। जब तक औरत और मर्द के बीच बराबरी के रिश्ते नहीं होंगे, औरतों को यह खामियाजा उठाते रहना पड़ेगा और उनके ऊपर इस प्रकार के हमले होते रहेंगे। इसलिए बार–बार यह आवाज उठती है कि ''हमें सत्ता में बराबरी दीजिए, संपत्ति में बराबरी दीजिए।'' जब हर स्तर पर बराबरी हो जाएगी तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी। इसलिए देश में महिला आरक्षण की बेहद जरूरत है। उसके बाद धीरे–धीरे औरतों की एक सबल छवि समाज में सामने आएगी। एक बराबरी वाली छवि सामने आएगी तो निश्चित तौर पर फर्क पैदा होगा और पुरूषों की मनमानी पर लगाम लगेगी।

बहुत सारी औरतें आज अपनी जिंदगी को अपने स्तर पर बराबरी के साथ जी रही हैं। ऐसा भी एक तबका समाज में बन रहा है। इसे आगे अभी और गति मिलेगी। आने वाले समय में औरत–मर्द के रिश्तों को बदलना, उनमें बराबरी लाना और फिर परिवार से ही बराबरी की सीख देना। ये सभी आपस में जुड़े हैं। जिस पर काम जारी है। इसमें ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों की जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, वह सामान्यतः निचले वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की होती है, जबकि महिलाओं के प्रति अत्याचार हर तबके में समान है। लेकिन लोक–लाज के कारण मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर पुलिस प्रशासन के पास जाती ही नहीं है। इसी से यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार हमारे समाज में कितनी अधिक है। इस पर लगाम तभी लग सकती है, जब हम परिवार से ही बच्चों में समानता का भाव लाएं, उन्हें जागरूक करें। साथ ही, दोषियों को कड़ाई से दंडित करें। हमारे यहां न्यायपालिका में जाकर न्याय पाना हर किसी के वश की बात नहीं है। गरीब और दलित तो अदालत तक जा ही नहीं पाते हैं।

महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध, उत्पीड़न, हिंसा स्त्री–पुरूष के बीच गहरी असमानता और भेदभाव का परिणाम है। पुरूष प्रधान सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाएं इसका पोषण करती है। ये सामाजिक संरचनाएं पुरूष की श्रेष्ठता के स्त्री विरोधी विचार को बढ़ावा देती है। ये स्त्री पुरूष संबंधों को लेकर गैरवाजिब रूढ़ियों और अपेक्षाओं को मजबूती देती है।

यौन उत्पीड़न बहुत ही संगीन अपराध है। इनके खिलाफ हिंसा हमेशा से होती रही है। महिलाएं न घर में और न ही बाहर सुरक्षित हैं। उनकी जिन्दगी और स्वतंत्रता दोनों खतरे में है। महिलाओं में समाज और व्यवस्था को लेकर गहरा अविश्वास है। यौन उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन होती रहती है। महिला अपराध से जुड़ी खबरें आती रहती है। महिलाओं की सुरक्षा असुरक्षित है। शहरों में और खासकर बड़े शहरों में महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये शिकायत दर्ज करवाने से बचती हैं। पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती हैं। भाग–दौड़ की जिन्दगी में ये किस–किस से दुश्मनी और बदनामी मोल लें। हाँ, कुछ महिलाएं जरूर हैं, जो मामले को सामने लेकर आती है। यौन उत्पीड़न से सम्बन्धित घटनाओं के गवाह मदद के लिए सामने नहीं आते। वे लोग मदद के लिए इसलिए सामने नहीं आते कि उन्हें विश्वास नहीं है कि लोग और पुलिस उनके साथ आएंगे।

आज लोगों में स्वतंत्रता आई है तो एक–दूसरे से जुड़ाव भी बढ़ा है। लेकिन जो सामाजिक ताने–बाने हैं, उनकी वजह से तनाव भी बढ़ा है। तनाव के बढ़ने से ही पूरा समाज एक तरह से संक्रमण काल में जा रहा है। इस संक्रमण का खामियाजा सबसे ज्यादा औरतें ही भुगत रही है। बाजारीकरण की वजह से जितनी चीजें समाज में आई हैं, उन्होंने लोगों की लिप्साएं भी बढ़ाई हैं। वे सोचते हैं कि हमें वह सब उपलब्ध हो तो इससे रेस की स्थिति बनी है। आपाधापी बढ़ी है। आज औरत मर्द दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन औरत का जो पारिवारिक काम है, उस जिम्मेदारी में किसी ने हाथ नहीं बंटाया है। उससे पति–पत्नी के बीच तनाव बढ़ा है। परिवार में तनाव बढ़ा है और आपस में रिश्तों में तनाव बढ़ा है।

इसके अलावा, आजकल स्त्रियों के प्रति भयावह हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। खासतौर पर यौनिक हिंसा हमारे समाज की विकृति है, जो बढ़ती चली जा रही है। बाजारीकरण का एक और खामियाजा यह भी है कि इस बाजार ने औरत को और भी ज्यादा भोग्य बनाया है जो परंपरा से दिमाग में था, उससे भी ज्यादा औरतों को भोग्या समझने की समझ इस बाजार ने ही विकसित की है। हमारे समाज में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलाव तो कई हुए हैं, लेकिन औरत–मर्द के बीच का रिश्ता डिफाइन नहीं हुआ है। इस देश में हर कुछ बदल रहा है, लेकिन औरत और मर्द के बीच का रिश्ता वहीं का वहीं टिका हुआ है। इसका दोष मीडिया और बाजार से कहीं ज्यादा परिवार का है। असल में तो हमारे समाज में परिवार का ही लोकतंत्रीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। राज्य भले ही लोकतांत्रिक हो गया है, समाज भले ही लोकतांत्रिक हो गया है, लेकिन हमारे यहां परिवार अभी तक लोकतांत्रिक नहीं हुआ है। परिवार में अब भी मालिकाना पुरूष प्रधान है। यह पुरूष प्रधान जब तक रहेगा, तब तक महिलाओं को डरा–धमका कर, उसके शरीर के साथ ज्यादती कर उस पर नियंत्रण रखने की हमारी मानसिकता व कोशिश बनी रहेगी और आज यही हो रहा है।

हिप्पोक्रेसी बुद्धिजीवियों में कम नहीं है। बाजार की गिरफ्त में सब हैं और बाजार की नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। यौन शोषण व उत्पीड़न का संबंध मानवीय सामाजिक और नैतिक मूल्यों के ह्रास से है। बाजार उत्सव को बढ़ावा देता है। इसने नैतिक सामाजिक मूल्य नष्ट कर दिये गये हैं। पिछले दो दशक में यौन–अपराध, यौन शोषण बढ़े हैं। गांधी ने 'हिंद स्वराज' में पूंजीवादी सभ्यता को 'शैतानी सभ्यता' कहा था, सौ वर्ष बाद अब यह शैतान चारों ओर मौजूद है। हमारे भीतर भी। व्यक्ति दोषी है। समस्या की जड़ें गहरी हैं। सत्ता, शक्ति, वर्चस्व, पूंजी द्वंद्व सबने मिलकर जो विकृतियों पैदा की हैं, भीतर के शैतान को जितना मजबूत बनाया है, उससे लड़ाई किसी एक स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती।

समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने काफी पहले यह कहा था कि भारतीय नारी की आदर्श सावित्री नहीं, द्रौपदी होनी चाहिए। द्रौपदी विदुषी है, उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वह हंसी–मजाक, बहस और क्रोध कर सकती है, पतियों के अलावा कृष्ण के साथ उसकी दोस्ती है, जिसे वह मुसीबत में मदद के लिए बुला सकती है। दूसरी ओर सावित्री का एक ही गुण है कि वह पतिभक्त है और यमराज के चंगुल से पति को छुड़ा लाती है। लेकिन इसी सती–सावित्री की कथाओं में आज भी भारतीय औरतों को उपदेश दिया जाता है कि पति चाहे जैसा हो, दुराचारी या व्यभिचारी, पत्नी उसकी एकनिष्ठा से सेवा करे। ऐसे उपदेशों में ही औरतों पर अत्याचारों की बुनियाद पड़ती जाती है। यदि एक बेहतर, सुंदर समाज बनाना है, तो औरतों पर अत्याचारों को पुष्ट करनेवाले इन सारे प्रतीकों, परंपराओं, मान्यताओं, शास्त्रों,

ढांचों और संस्थाओं की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। तभी औरतों पर हिंसा की महामारी से समाज मुक्त हो सकेगा।

संदर्भ सूची

1. डॉ. राममनोहर लोहिया, समाजवादी चिंतक
2. माधुरी दीक्षित, अभिनेत्री – हिन्दुस्तान, पटना, 8 मार्च 2014
3. नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 2000
4. ए.एस. अल्तेकर, दि पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाईजेशन
5. डॉ. सरोजिनी सिंह – आज की स्त्री अबला या सबला– झारखण्ड के विशेष संदर्भ में, स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम, प्रधान सम्पादक– डॉ. ऋषभ देव शर्मा
6. भारतीय समाज एक विस्तृत अध्ययन– लवानिया एवं जैन, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली।
7. स्त्री सशक्तिकरण के विविध आयाम– प्रधान सम्पादकः डॉ. ऋषभ देव शर्मा, गीता प्रकाशन, रामकोट, हैदराबाद
8. नारीवादी राजनीति : संघर्ष एवं मुद्दे – संपादक– साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली
9. भारतीय स्त्री : सांस्कृतिक संदर्भ– प्रतिभा जैन एवं संगीता शर्मा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
10. भारतीय नारीः संघर्ष और मुक्ति– वृंदा करात, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया), प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली